मुख्यमंत्री संदर्भ/समयबद्ध

संख्या-11 /2016/226 /एक-6-2016-135(28)/99 टी0सी0

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 2016**

विषय: शासकीय कार्य के समय हुई दुर्घटना के उपरान्त श्री आबिद अली को चतुर्थ श्रेणी के पद पर समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 1581/एक-6-2014-135(28)/99टी0सी0-। दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी थी कि श्री आबिद अली, दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक की नियुक्ति किस शासनादेश के विरूद्ध की गयी थी। इस सम्बन्ध में तत्संबंधी शासनादेश का विवरण/प्रति तथा उसके निहित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण कर एक सप्ताह के अन्दर आख्या शासन को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था परन्तु वांछित सूचना शासन को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी के लंबित कम्प्यूटर संदर्भो में सम्मिलित है और प्रकरण में कृत कार्यवाही से पत्रावली पर आख्या मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

अत: इस सम्बन्ध में मुझे पुन: यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में वांछित सूचना शासन को 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in